

दिनांक 13/6/19 को प्रेषित हो

3/6/19

पत्रावली पेश। वकील वादी उपर पूर्व
आदेशानुसार वाक्ते अर्थात् व वलकी
शेष हेतु आदेश दिनांक 13/6/19 को प्रेषित
हो।

13/6/19

पत्रावली पेश। वकील वादी उपर 1.0. साक्ष्य
आपका प्रारंभ पर है आदेश दिनांक 11/3/19 को प्रेषित

21/6/19



प्रारंभ
अनुसंधान

आज यह पत्रावली वादीया अलमिन्दुकोट
डाप साठपत्र अन्तर्गत आदेश-23 निपत्र
-4-चाप 15 कीपीपी का प्रेषण करने पर
पेशी में ली गई साठपत्र में निवेदन
किया कि लोक अदालत की भावना से
उमर वाद पर को आदेश नहीं चलाना चाहती
हैं व अरिपे विवक्षल पुनः वाद प्रेषण करने
के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दायित्व
दस्ता कप्ताना-वादी है। वादीया के निवेदन
को स्वीकार किया जाकर पुनः वाद प्रेषण
करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए
वाद-वादी इसी स्तर पर रखा गया किना
आता है पत्रावली नियमानुसार दायित्व दस्ता
को जम्बूट है कर हो।

उपखण्ड अधिकारी
अनुपगढ़